

आदेश

निदेशालय के आदेश पृ० क्रमांक 11228-39/स्था०-III(1,2), दिनांक 01-07-2015 में क्रम सं० 2 पर अंकित कर्मचारी श्रीमति कुसुमलता, आशुलिपिक कार्यालय सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, अम्बाला की अतिरिक्त ड्यूटी सप्ताह में तीन दिनों के लिये उप कृषि निदेशक, अम्बाला के कार्यालय में लगाई गई थी को तुरन्त प्रभाव से रद्द करते हुए उसके स्थान पर श्री साधू राम, लिपिक कार्यालय सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, अम्बाला को नियम 5.2 (b) read with 2.27 of CSR Vol-I के तहत उप कृषि निदेशक, अम्बाला के कार्यालय में चार माह (120 दिन) के लिये अस्थाई तौर पर लोकहित में डिप्यूट किया जाता है इस अवधि के दौरान कर्मचारी का वेतन सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, अम्बाला के कार्यालय में स्वीकृत लिपिक के पद के विरुद्ध ही ज्ञा किया जाएगा।

दिनांक: 28-08-2015

एम० शाईन, आई०ए०एस०
कृषि निदेशक, हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्रमांक 14921-25/स्था०-III(2), दिनांक: पंचकूला। 28/8/15

इसकी एक प्रति निम्नलिखित:-

1. उप कृषि निदेशक (पौ०सं०), हरियाणा, पंचकूला।
2. उप कृषि निदेशक, अम्बाला।
3. सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, अम्बाला।
4. श्रीमति कुसुमलता, आशुलिपिक कार्यालय सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, अम्बाला।
5. श्री साधू राम, लिपिक कार्यालय सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी, अम्बाला।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

49-341/28/8/15
उप अधीक्षक (स्था०-III)
कृते: कृषि निदेशक, हरियाणा, पंचकूला।